टेली-लॉ

कानूनी सलाह आपके गाँव में

अब कानूनी सलाह पाना हुआ आसान

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में कंप्यूटर पर **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** या **टेलीफोन** के माध्यम से अधिकृत वकीलों से कानूनी सलाह पायें

लाभार्थी प्रमाण के लिये आवश्यक दस्तावेज़ ले कर CSC पर पहुंचें -
आधार कार्ड/राशन कार्ड /वोटर आई डी / जातीय प्रमाण पत्र/ नगरपालिका या ग्राम पंचायत की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र / विकलांगता पहचान पत्र

कानूनी सलाह के मामले-
दहेज, घरेलू हिंसा, ज़मीन-जायदाद व संपत्ति के मामले, लिंग जाँच व् भ्रूण हत्या, गिरफ़्तारी, F.I.R, ज़मानती/ गैर ज़मानती अपराध/ज़मानत मिलने की प्रक्रिया, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार

कृपया अधिक जानकारी के लिये अपने गाँव से जुड़े पैरा लीगल वालंटियर (PLV) या विलेज लेवॅल एण्टरेप्रेन्योर (VLE) से संपर्क करें या फिर टेली लॉ की वेबसाइट http://www.tele-law.in/ देखें

निःशुल्क सेवा प्राप्त करने के पात्र वर्ग

- महिलाएं
- बच्चे (18 साल से कम उम्र के);अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य (SC/ST); दिव्यांग व्यक्ति
- औद्योगिक कामगार /श्रमिक/ मज़दूर
- प्राकृतिक आपदा से पीड़ित (जैसे-भूकंप,बाढ़, सूखा इत्यादि)
- जातीय हिंसा से पीड़ित; देह व्यापार के शिकार
- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक/पारिवारिक आय १००,००० /-(उत्तर प्रदेश) १५०,००० /-(बिहार) से कम है
- जो लोग हिरासत में हैं

अन्य व्यक्ति मात्र **30/-** रूपए देकर कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं

* न्याय विभाग द्वारा जनहित में जारी

सबका साथ,
सबका विकास,
सबका न्याय

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते